

**मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)**

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कोटकासिम**

पीठासीन अधिकारी :- विश्वामित्र मीना RAS

उनवान

द्वारे माल बराम राजपाल डाई

वा बाबत :- शक्ति पत्र मय सुकती इ-डाटा कम सुकमिशनर 48मी 0/5 88-89-100 RTA

कदमा नम्बर :- 349/19-12-2016

1955

निर्णय दिनांक :- 27-06-2017

वादी की ओर से दादी प्रमी की व प्रतिवादी की ओर से प्रदीकाल

ही उपस्थिति में आज तारीख 27-06-2017 को विश्वामित्र मीना (नाम पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती कि - विवादित आराजी 81 मू खनं. 1263/0-13 की वी वी के शक्ति पत्र कोटकासिम त. ए. कोटकासिम जिला अन्वय 21 ज. के राजस्व रिमांड जमावदी से मूलक दोला विवेक के पारितान जानामे रूपनामा के इतला (नामान्) ए स्. 2463 में प्रवहीन होने से फलम जान मिथे जाने के आदेश दिए जाते हैं। दादी को पंजी कृत रूपनामा दिनांक 3-7-1992 के अनुसार विवादित आराजी का खातेदार काश्तफाल घोषित किया जाता है। विवादित आराजी के राजस्व रिमांड में दादी का अन्वय दरामद किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर वाद तकतीम घोषित दफ्तल भी जावे। निर्णय केम्प कोर्ट में किया जाक सुनामा रामा।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे ।

यह आज तारीख 27-06-2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

एम

(विश्वामित्र मीना)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद प्रत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर के फीस	
4. रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों को लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.

दोरेलाल/ राजपाल

2) 6

1) आज यह पत्रकेली केस कोर्ट कोट कासिम में प्रस्तुत किया गया। पक्षी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण की तारीख पूर्व में हो चुकी है। आज शाम पंचायत मुख्यालय पर केस कोर्ट की सूचना पर भी प्रति. उपस्थित नहीं। फेरौजल सामील का जवाब कोर्ट में रजि. नहीं। व राज्य पक्ष विहित नहीं होगा दर्ज किया। प्रति. 1 से 5 का प्रत्युक्त सूचना के उप. नहीं। (अ.म.) Beparky की जाती है। पत्रकेली के रिमांड का अर्थोकाग किया व पक्षी वकील को सुना गया। मुलाखत कथनाभा मूलक दोला जो प्रति. 1 से 5 का पिता या दुःख विवाहित आराजी रज. नं. 1263 ग्राम कोटकासिम का बेपार पक्षी को किया जाना साक्षित है। मूलक दोला की विस्तृत का नामान्तकाल प्रतिवादीगण वारिसान के नाम उक्त आराजी के सम्बन्ध में प्रभावहीन है। अतः पक्षी का पक्ष (डि.क) किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से किया जाकर आश्रीय पत्रकेली किया गया। पत्रकेली नखल से फेरौजल का पक्षीय दाखिल दफ्तार (मी.जा.प) निर्णय केस कोर्ट कोट कासिम में सुनाया गया।

दिए
रज. व. अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)